अब संपूर्ण भारत में पहुंचा मानसून

- बारिश की रफ्तार पर टायफून 'बावी' का असर
- दिल्ली से पहाड़ों तक बारिश का छाया कहर

नई दिल्ली, 10 जुलाई. देशभर में मानसून सक्रिय है और गुरुवार को इसने पूरे भारत को कवर कर लिया. मौसम विभाग ने कहा सामान्य तौर पर मानसून को पूरे देश तक पहुंचने में करीब 38 दिन लगते हैं, लेकिन इस बार यह 36 दिन में ही पूरे देश में फैल गया. शनिवार को कई राज्यों में आईएमडी द्वारा भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

हालांकि, अब मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में इसकी रफ्तार धीमी पड़ने की संभावना जताई है. मौसम विभाग की सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार मध्य भारत में मानसून ज्यादा सक्रिय नजर आ रहा है.

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों तक बादलों का प्रभाव बना हुआ है. दूसरी ओर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और देश के पश्चिमी हिस्सों में बादलों की गतिविधि कम दिखाई दे रही है. इन क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों में बारिश की संभावना कम रहने का अनुमान है. मानसून के लिए एक और चुनौती प्रशांत महासागर में बना सुपर टायफून 'बावी' है.

फिलीपींस के पास बने इस तूफान का रुख ताइवान और चीन की ओर है.

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इसका प्रभाव बंगाल की खाड़ी तक महसूस किया जा रहा है. जब तक यह तूफान चीन की ओर आगे नहीं बढ़ता, तब तक बंगाल की खाड़ी में नया बारिश सिस्टम बनने की संभावना कम बताई जा रही है. इसके कारण अगले दो दिनों बाद देश के कई हिस्सों में बारिश कम हो सकती है और अच्छी बारिश के लिए करीब एक सप्ताह तक इंतजार करना पड़ सकता है. इस बीच दिल्ली में भारी बारिश ने जनजीवन प्रभावित किया.

मेथेनॉल से चलेंगे भारी वाहन : गडकरी

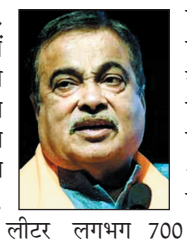

नई दिल्ली 10 जुलाई. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि मेथेनॉल भविष्य में डीजल के विकल्प के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. उनके अनुसार, लगभग 20 से 22 रुपये प्रति लीटर लागत वाला यह वैकल्पिक ईंधन ट्रक, बस, ट्रैक्टर, जहाज और अन्य भारी मशीनों में उपयोग के लिए संभावनाएं रखता है. सरकार का उद्देश्य पेट्रोलियम ईंधन पर निर्भरता कम करना और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना है। एक साक्षात्कार में गडकरी ने बताया कि असम पेट्रो-केमिकल्स प्रतिदिन लगभग 700 टन मेथेनॉल का उत्पादन कर रही है. उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग शुरू होता है, तो परिवहन क्षेत्र की ईंधन लागत में उल्लेखनीय कमी आ सकती है.

अभिनेता राजपाल यादव को तीन माह की जेल

नई दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कई चेक बाउंस मामलों में अभिनेता राजपाल यादव की दोषी ठहराये जाने को बरकरार रखते हुए उन्हें सात मामलों में से प्रत्येक में तीन महीने के साधारण कारावास सजा सुनाई. ये सभी सजाएं साथ चलेंगी. न्यायाधीश स्वर्ण कांत शर्मा ने मामले की सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया. यादव को प्रत्येक मामले में एक करोड़ पांच लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया, जिसमें से एक करोड़ चार लाख 75 हजार शिकायतकर्ता को और 25 हजार रुपये राज्य को दिए जाने हैं. उच्च न्यायालय ने राजपाल की पत्नी राधा को भी प्रत्येक मामले में शिकायतकर्ता को 5.51 लाख का भुगतान करने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि समझौते का सम्मान करने के कई अवसर मिलने के बावजूद, श्री यादव अपने वादों को पूरा करने में विफल रहे और अंततः उन्होंने कहा कि वह आगे भुगतान करने के बजाय जेल जाने के लिए तैयार हैं.

पश्चिम रेलवे

वाणिज्य शाखा

ई–नीलामी सूचना

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक–रतलाम मंडल–पश्चिम रेलवे ने नॉन फेयर रेवेन्यू (NFR) के माध्यम से ई–नीलामी आमंत्रित की है। केटलॉग को (www.ireps.gov.in) के (ई–ऑक्शन लीजिंग) पर प्रकाशित किया गया है, विवरण निम्न प्रकार से है। **क्र. सं.** 1। **ऑक्शन केटलॉग सं.** ADVT-RTM-MA-16। **अनुबंध का प्रकार:** Advertising। **लॉट नं.** ADVT-EBW-132119-23-1 (Advertising - Train Exterior (Below Window))। **अनुबंध की अवधि:** 05 वर्ष। **ई–नीलामी की तिथि:** 24.07.2026। **समय:** प्रात 11:00 बजे। प्रारंभिक कुलिंग ऑफ अवधि 30 मिनट है। अनुक्रमिक लॉट को बंद करने का अंतराल 10 मिनट है। IREPS के ई–ऑक्शन मॉड्यूल पर लॉटवाइज समापन समय देखा जा सकता है। 0144

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

डेढ़ वर्षीय मासूम की हत्या के मामले में 40 दिन में फांसी की सजा

फिरोजाबाद. उप्र के फिरोजाबाद में डेढ़ वर्षीय मासूम की निर्मम हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. बच्चू सारंग ने शुक्रवार को दोषी जितेंद्र पाठक उर्फ विराज को फांसी की सजा सुनाई. घटना के मात्र 40 दिन के भीतर अदालत का फैसला आने को पुलिस और अभियोजन पक्ष की त्वरित कार्रवाई का परिणाम माना जा रहा है।

पश्चिम रेलवे

ई–निविदा सूचना

निविदा क्रमांक: **EL/TRD/58/2026-27/12**। कार्य का नाम: **Replacement of existing OHE structures having less & Leaned OHE mast and miscellaneous work of TRD asset over Ratlam Division** अनुमानित लागत: Rs. 8,21,03,522/-.बयाना राशि Rs.16,42,100/-. समापम अवधि: 18 Months. निविदा दस्तावेज़ की राशि: Nil. ऑनलाइन बिडिंग बंद होने की दिनांक एवं समय: 10.08.2026 at 15:00 hrs. ऑफर की वैधता: 60 days from the date of opening. वेबसाइट: **www.ireps.gov.in.** नोटिस बोर्ड: वरिष्ठ मंडल विद्युत् इंजीनियर, कर्षण वितरण, रतलाम मंडल, पश्चिम रेलवे के कार्यालय के प्रवेश द्वार के सामने 0140

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

सार्वजनिक सूचना

मैं, सद्दाम मंसूरी (Saddam Mansuri), पिता इकबाल मंसूरी, निवासी नर्मदा कंट्रोल के पास, 1259, मेन रोड, बिजलपुर, इंदौर-452012, मध्य प्रदेश, भारत, यह घोषित करता हूँ कि मेरे पूर्व पासपोर्ट में मेरा नाम सद्दाम मनसूरी (Saddam Mansoori) था। मेरा सही एवं वर्तमान नाम सद्दाम मंसूरी (Saddam Mansuri) है, जो मेरे सभी वर्तमान सरकारी एवं पहचान संबंधी दस्तावेज़ों में अंकित है। अतः पासपोर्ट कार्यालय सहित सभी सरकारी, कानूनी एवं अन्य अभिलेखों / दस्तावेज़ों में मेरा नाम सद्दाम मंसूरी (Saddam Mansuri) ही माना एवं दर्ज किया जाए। उपरोक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

रेप्को होम फाइनेंस लिमिटेड

Repco Home Finance

इन्दौर शाखा: 101, प्रथम तल, 9/1/2, खण्डेलवाल मोटर्स बिल्डिंग, यस बैंक के पास, एम.जी. रोड, इन्दौर - 452001

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

चूंकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत रेप्को होम फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 27-02-2026 को एक मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें उधारकर्ता श्री निखिल जादम, आत्मज श्री मोहन लाल जादम, मकान नं. 97 बी, शिक्षक नगर, बिजासन रोड, इन्दौर - 452005; इसके अलावा यू वी मोबाइल शॉप, दुकान नं. 152, कन्या कुब्ज नगर, 60 फीट रोड, आरियो ड्रम रोड, इन्दौर - 452002; इसके अलावा प्लॉट नं. 98, आर.एन. सिटी, ग्राम छोटा बांगड़दा, इन्दौर - 452005, सह-उधारकर्ता-I: श्रीमती इंदिरा जादम, पत्नी श्री मोहन लाल जादम, मकान नं. 97 बी, शिक्षक नगर, बिजासन रोड, इन्दौर - 452005; इसके अलावा मकान नं. 98, बिजासन रोड, आर एन सिटी, ग्राम छोटा बांगड़दा, इन्दौर - 452005, सह-उधारकर्ता-II: श्री मोहन लाल जादम, आत्मज श्री राम नारायण जादम, मकान नं. 97 बी, शिक्षक नगर, बिजासन रोड, इन्दौर - 452005; इसके अलावा मेसर्स मोहन लाल जादम, पुराना नं. 39, नया नं. 97 बी, शिक्षक नगर, एयरोड्रम रोड, इन्दौर - 452002; इसके अलावा प्लॉट नं. 98, आर.एन. सिटी, ग्राम छोटा बांगड़दा, इन्दौर - 452005, गारंटर: श्री विशाल संवार (ऋण खाता संख्या 1991870000298 के लिए), आत्मज श्री गोपाल कृष्ण संवार, नं. 341, अंबिकापुरी, मकान नं. 91, इन्दौर - 452005; इसके अलावा साइबर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, नं. 10, साउथ तुकोगंज, एम.जी. रोड, इन्दौर - 452001, से उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए कहा गया था, जो ऋण खाता संख्या 1991870000298 और 1991820000557 के तहत क्रमशः रू. 17,64,167/- और रू. 2,46,667/- है, और इस पर दिनांक 12.02.2026 से आगे का ब्याज और अन्य खर्च, उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर देय हैं।

उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता और गारंटर राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, इसलिए इसके द्वारा उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, गारंटर और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित नियमों के नियम 9 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज 07 जुलाई 2026 को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, गारंटर और आम जनता को एतद्द्वारा आगाह किया जाता है कि वे इस संपत्ति के साथ कोई लेनदेन न करें और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेनदेन रेप्को होम फाइनेंस लिमिटेड, इन्दौर शाखा के ऋण खाता संख्या 1991870000298 और 1991820000557 के तहत क्रमशः रू. 18,47,802/- और रू. 2,70,662/- की राशि और इस पर दिनांक 03.07.2026 से आगे के ब्याज तथा अन्य खर्चों के भार के अधीन होगा।

हम आपका ध्यान प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित करते हैं, जिसके अनुसार यदि सुरक्षित लेनदार के बकाये का भुगतान सभी लागतों, शुल्कों और सुरक्षित लेनदार द्वारा किए गए खर्चों के साथ आपके द्वारा सुरक्षित संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय कर दिया जाता है, तो सुरक्षित संपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा।

संपत्ति का विवरण

उक्त संपत्ति का वह संपूर्ण हिस्सा और पार्सल जो कि प्लॉट नं. 98 का उत्तरी भाग, आर.एन. सिटी, ग्राम छोटा बांगड़दा तहसील और जिला, इन्दौर, मध्य प्रदेश है। कुल क्षेत्रफल: 695 वर्ग फीट (सीमाएँ): पूर्व: कॉलोनी की सड़क, पश्चिम: प्लॉट नं. 129, उत्तर: प्लॉट नं. 97, दक्षिण: प्लॉट नं. 98 का शेष भाग

दिनांक: 07.07.2026 — अधिकृत अधिकारी, रेप्को होम फाइनेंस लिमिटेड

न्यायालय अपर कलेक्टर (रोशन राय)
खुडैल क्षेत्र, जिला इन्दौर

राजस्व अपील क्र. /बी-121/2026-27

क्रमांक : 138/अ0 क0 री0 खुडैल/2026 — दिनांक :07/07/2026

विज्ञप्ति प्रकाशन

1. श्री कपिल यादव पिता श्री बाबूलाल,
2. श्रीमती मनीषा बोडानें पति श्री कपिल यादव,
दोनों पता 37, सनावदिया जिला इन्दौर
द्वारा - स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड ए0डी

विषय - प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत बकाया राशि के विरुद्ध सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने के प्रकरण में उपस्थिति बाबत सूचना। **आवेदक टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि०**

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आवेदक सूचना। **आवेदक टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि०** तरफ प्राधिकृत अधिकारी, **कार्यालय पता तीसरी मंजिल, यूनिट नं 301, एनआरके टेक पार्क प्लॉट नं 9/सी/सीआर स्कीम नं 94 रिंग रोड रेडिशन चौराहा के पास इन्दौर** द्वारा आपके द्वारा लिये ऋण नही जमा करने के कारण धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अंतर्गत रखी गई सम्पत्ति का कब्जा दिलाने का निवेदन किया गया है।

13(2) अनुसार वसूली हेतु योग्य राशि	बंधक संपत्ति
18,16,469/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे पांच लाख तिहोत्तर हजार नौसो अठ्ठाविस मात्र	भूखण्ड क्रमांक 69 एमराल्ड अनन्त ग्राम देवरगुराडिया इन्दौर

अतः इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि मामले की सुनवाई अपर जिला दण्डाधिकारी अनुभाग खुडैल जिला इन्दौर के **(नवीन प्रशासनिक संकुल कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक 109) के न्यायालय में दिनांक 15.07.2026 (बुधवार) को दोपहर 2.30 बजे होगी।** आप अपना जवाब व सम्पूर्ण दस्तावेजों सहित उपस्थित रहे।

अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(रोशन राय)
अपर कलेक्टर,
अनुभाग खुडैल जिला इन्दौर

IDBI BANK

वी.के. प्लाजा, सी 25/2, महाकाल वाणिज्य केन्द्र, कोसमोस माल रोड के सामने, नानाखेड़ा, उज्जैन - 456001
फोन नं.: 0734-2550052, मोबाईल: 96443 66650, 99607 14961

नियम 8 (1) कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि,

अधोहस्ताक्षरकर्ता आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्न निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का नियम 54) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवली के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **श्री सुरज पंवार (उधारकर्ता एवं बंधककर्ता)** को **दिनांक 29.09.2025** को एक मांग नोटिस जारी किया एवं नोटिस में वर्णित **राशि रुपये 33,48,827.47 (रु. तैतीस लाख अड़तालिस हजार आठ सो सत्ताईस एवं सैतालिस पैसे मात्र)** एवं दिनांक 10.07.2025 से उस पर देय ब्याज एवं अन्य खर्च बैंक की नीति के अनुसार नोटिस दिनांक से 60 दिन की समयावधि में भुगतान करने हेतु नोटिस दिया था।

चूंकि उक्त उधारकर्ता एवं बंधककर्ता उल्लेखित राशि अदा करने में असफल रहे है, अत: उधारकर्ता एवं बंधककर्ता को विशेष रुप से एवं जनता को सामान्य रुप से सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमवली, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 13 की उप-धारा (4) में निहित अधिकारों के प्रत्यायोजन स्वरुप नीचे उल्लेखित संपत्ति पर **दिनांक 7 जुलाई, 2026** को कब्जा (भौतिक) ले लिया है।

उधारकर्ता एवं बंधककर्ता को विशेष रुप से एवं आम जनता को सामान्य रुप से एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि अब इस संपत्ति पर कोई व्यवहार नहीं करें तथा इस संपत्ति पर किया गया कोई भी व्यवहार **राशि रुपये 33,48,827.47 (रु. तैतीस लाख अड़तालिस हजार आठ सो सत्ताईस एवं सैतालिस पैसे मात्र)** की राशि तथा उस पर ब्याज एवं अन्य खर्चे बाबत् **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड** के प्रभार के अधीन होगा। उधारकर्ता एवं बंधककर्ता को एक्ट की धारा 13 की उपधरा 8 के प्रावधानों के अन्तर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मोचन में उपलब्ध समय की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्तियों का विवरण

संपत्ति के सभी प्रमुख अंग मकान नं. 38, एमआईजी-एसआर, एकलव्य परिसर, राम सिंह की चौकी, वार्ड नं. 01, तहसील एवं जिला अलिराजपुर (म.प्र.) 457887 पर स्थित अचल संपत्तियों में शामिल एवं उसका हिस्सा बनने वाली भूमि, **क्षेत्रफल: 135 वर्गमीटर, चर्तु:सीमा: उत्तर:** मकान नं. एमआईजी-39, **दक्षिण:** मकान नं. एमआईजी-37, **पूर्व:** मकान नं. एमआईजी-33, **पश्चिम:** 7.50 मीटर सड़क, पृथ्वी से जुड़ी हुई या पृथ्वी से जुड़ी हुई किसी भी चीज से स्थाई रुप से जुड़ी हुई सभी ईमारतों एवं संरचनाओं एवं सभी संयंत्र एवं मशीनरी के साथ।

स्थान : अलिराजपुर — कृते - दीपक बुन्देल
दिनांक: 11.07.2026 — प्राधिकृत अधिकारी, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वगीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	86973087	संपत्ति के बदले ऋण	04-07-2026	6,41,944.75/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं के नाम: 1. राजेन्द्र सिंह राजपूत 2. गोपाल कुँवर सोलंकी 3. भोपाल सिंह

संपत्ति का पता: घर नंबर 168 की पूरी संपत्ति और जमीन, जिसका कुल क्षेत्रफल 235 वर्ग मीटर और मंजूरशुदा क्षेत्रफल 2160 वर्ग फीट है। यह संपत्ति सर्वे नंबर 129/2, पीएच नंबर 54 की डायवर्टेड जमीन पर स्थित है। इसका पता है: गाँव - अक्याबेनी, तहसील - जावरा, ज़िला - रतलाम, मध्य प्रदेश - 457226। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में - राजेंद्र सिंह, पश्चिम में - अंतर कुंवर का घर, उत्तर में - राजेंद्र सिंह, दक्षिण में - सड़क।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक: 11.07.2026 — **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड**
स्थान: मध्यप्रदेश — **के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)**

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

TATA

पंजीकृत कार्यालय: 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013
सीआईएन संख्या: U67190MH2008PLC187552

कब्जे की सूचना (अचल संपत्तियों के लिए)

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पढ़े गए परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकताओं को नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया।

उधारकर्ता द्वारा राशि का भुगतान न करने पर, एतद्द्वारा उधारकर्ता को, विशेष रूप से और आम जनता को, सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, इंदौर द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर, नीचे उल्लिखित सीसी संख्या में तहसीलदार के माध्यम से वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है और उक्त तहसीलदार ने अधोहस्ताक्षरी अधिकृत अधिकारी को भौतिक कब्जा सौंप दिया है।

ऋण लेने वाले को, विशेष रूप से, और आम जनता को, यह चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें। संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा नीचे उल्लिखित राशि के लिए, ब्याज सहित, दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि सहित, मांग नोटिस की तिथि से जब्त किया जाएगा। ऋण लेने वाले का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय का उल्लेख है।

ऋण खाता संख्या	देनदार का नाम / कानूनी उत्तराधिकारी/ कानूनी प्रतिनिधि	मांग नोटिस के अनुसार राशि	मांग सूचना दिनांक / भौतिक कब्जे की तिथि	आदेश दिनांक / सीसी नं.
TCHHF02840 00100301828 &TCHHF0284 000100305717 & TCHIN02840 00100408986	श्री आनंद देवकर (उधारकर्ता) और श्रीमती रूपाली देवकर (सह-उधारकर्ता)	रू. 23,00666/- और रू. 6,96,781/- और रू. 3,74,746/-	03.12.2025	27.05.2026
			08.07.2026	केस सं. 0071/बी-121/ 2026-27

सुरक्षित संपत्ति/अचल संपत्ति/गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण: अचल संपत्ति का पूरा हिस्सा, फ्लैट नंबर 104, पहली मंजिल, "वेस्टएंड कॉर्पोरेट" प्लॉट नंबर 6/6 (पुराना ब्लॉक नंबर 45), न्यू पलासिया, वार्ड नंबर 43, इंदौर (म.प्र.)। बिल्ट-अप एरिया 360 वर्ग फुट यानी 33.45 वर्ग मीटर। सीमाएं: पूर्व: फ्लैट नंबर 105, पश्चिम: फ्लैट नंबर 103, उत्तर: बिल्डिंग का M.O.S., दक्षिण: लॉबी।

दिनांक:- 11.07.2026 — एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
स्थान:- इंदौर — टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

इंडियन बैंक Indian Bank — इलाहाबाद ALLAHABAD

इंडियन बैंक, पालदा शाखा : ओसन बाग, ग्राम पोस्ट पालदा, इन्दौर, मध्यप्रदेश - 452017

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक **30.06.2026** को रजिस्टर्ड डाक द्वारा निम्नवर्णित ऋणी/जमानतदार को मांग सूचना पत्र भेजा गया:-

1. **मेसर्स आर एस एग्रो इंडस्ट्रीज (ऋणी),** सर्वे नं. 322/1, पालदा नेमावर रोड, उद्योग नगर के पास, जिला इन्दौर, म.प्र.-452020
2. **श्री हर्ष सोनी पिता श्री राजेन्द्र सोनी (ऋणी/प्रोप्राईटर),**
   निवासी: ब्लॉक एस-295, मालवा काउंटी, मांगलिया, बायपास रोड, इन्दौर, म.प्र.-453771
3. **श्रीमती सावित्री सोनी पति स्व. गोविन्द सोनी (जमानतदार / बंधककर्ता),**
   निवासी: 67-बी, शुभम पैलेस, इन्दौर, म.प्र.-452006

विषय: इंडियन बैंक पालदा शाखा में लोन खाता नंबर 7944283224 का संदर्भ

आपने रुपये रुपये **2,07,91,899/ (रुपये दो करोड सात लाख इक्यानवे हजार आठ सौ निन्यानवे मात्र) दिनांक 28.06.2026** से सहमत दर पर अतिरिक्त ब्याज के साथ ऋण के पुनर्भुगतान में चूक की है। बैंक ने **29.06.2026** को अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर आपसे दिनांक **28.06.2026** को रुपये **2,07,91,899/ (रुपये दो करोड सात लाख इक्यानवे हजार आठ सौ निन्यानवे मात्र)** की बकाया राशि चुकाने का अनुरोध किया। आपको पंजीकृत डाक से भेजा गया नोटिस बिना तामील किए वापस कर दिया गया है। इसकी एक प्रति सर्वे नं. 322/1, पालदा नेमावर रोड, उद्योग नगर के पास, जिला इन्दौर, म.प्र.-452020 पर चिपकाई गई है।

आपको **रुपये 2,07,91,899/ (रुपये दो करोड सात लाख इक्यानवे हजार आठ सौ निन्यानवे मात्र) दिनांक 28.06.2026** से सहमत दर पर अतिरिक्त ब्याज के साथ इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया था। ऐसा न करने पर बैंक बाध्य होगा यहां नीचे दी गई अनुसूची में दी गई सुरक्षित संपत्तियों के विरुद्ध सुरक्षा हित को लागू करने के अधिकारों का प्रयोग करें। यह नोटिस सुरक्षित ऋणदाता को उपलब्ध किसी अन्य अधिकार/उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

ऋणकर्ता/सहऋणी/जमानतदार/संपत्ति स्वामी का ध्यान आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन एवं प्रतिभूति-हित-का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(8) के प्रावधान के तहत उपलब्ध समय में प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने की ओर आकर्षित किया जाता है।

अनुसूची

संपत्ति के संपूर्ण एवं शेष भाग प्लॉट नं. 293, उषा नगर कॉलोनी, तहसील जूनी इन्दौर, जिला इन्दौर, म.प्र.-452009
भूमि संपत्ति का कुल क्षेत्रफल: 2400 वर्गफीट 223.04 वर्गमीटर, साईज 60X40 वर्गफीट
चर्तु:सीमा- पूर्व: बैक लेन, पश्चिम: रोड, उत्तर: प्लॉट नं. 292, दक्षिण: प्लॉट नं. 294
संपत्ति का स्वामी: श्रीमती सावित्री सोनी पति स्व, श्री गोविन्द सोनी

हाइपोथिकेटेड संपत्तियाँ

फर्म मेसर्स आर. एस. एग्रो इंडस्ट्रीज़ के नाम पर वर्तमान एवं भावी स्टॉक, बुक डेब्ट्स (प्राप्य देय राशियाँ) तथा अन्य चालू परिसंपत्तियों का हाइपोथिकेशन स्टॉक एवं बुक डेब्ट्स में सर्वे क्रमांक 322/1, पलदा, नेमावर रोड, उद्योग नगर के पास, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश-452020 स्थित खाद्य तेल का स्टॉक एवं उससे संबंधित प्राप्य देय राशियाँ सम्मिलित हैं।

प्राधिकृत अधिकारी
इंडियन बैंक, पालदा, इंदौर

CENTRUM HOUSING FINANCE LIMITED

Group Company of pe